NO . CBSE/AFF/EX-00648-1920/2019-20/

Dated: 11/09/2020

The Manager,
NATIONAL PUBLIC SCHOOL
AIR PORT ROAD OPP BIJASIN TEMPLE INDORE MADHYA PRADESH
INDORE
MADHYA PRADESH ,INDORE , 452113
(M: 07312620451)

Subject : Extension of General Affiliation- regarding.

Ref : Application No. EX-00648-1920 dated 24.01.2018.

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the sanction for General Affiliation as per details given below :

Affiliation No.	**1030065**
Affiliated for	**Extension of General Affiliation**
Category	**Extension of Affiliation**
Period of General affiliation	**01.04.2019 to 31.03.2024**

The facilities reported at the time of last inspection:

S.No.	**Detail**	**Size**
1	**Area on which school building situated reported by the IC**	**24928.63 Sq. Meters**
2	**Area of play ground**	**13673 Sq. Meters**

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
3. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer.
4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
5. The school should go through the provision of **Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of** for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
6. The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students.
7. **Admission to the school** is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
8. The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
9. The number of sections in the school are restricted to **21** as per number of sections reported by the IC and shall not be increased without specific approval of the Board. For increase in

number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of affiliation bye laws.

10. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
11. The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc.
12. The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website: www.cbse.nic.in.
13. The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
14. Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/upgradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
15. Running of **coaching institutions** in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
16. The Manager and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/ information/data submitted by the School to the Board.
17. Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/ notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per Chapter 12 of Affiliation Bye-laws-2018.

Joint Secretary

Encl: as stated above.

कार्यालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास इन्दौर म. प्र.

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि "नोबल फ्रेन्ड्स फाउन्डेशन" को

पता:- [illegible] जमाना कालोनी इंदौर

सार्वजनिक न्यास के रूप में मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट १९५१ की धारा ६ के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

पंजीकरण क्रमांक ५०२/९५ है

दिनांक २६ माह अगस्त सन १९९५

रजिस्ट्रार

पंजीयक सार्वजनिक न्यास
एवं अनुविभागीय अधिकारी
इन्दौर

रा. प्र. क्र. २०/बी-११३/९३-९४

सौजन्य से :- प्रहलाददास सिंधी

Chairman
Noble Friends Foundation
INDORE (M. P.)

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्स: ई-मेल:

क्रमांक:/261721726/स्कूल आई.डी. - 9021 दिनांक:- 25/03/2018

प्रति,

प्रबंधक,

(NATIONAL PUBLIC SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदयों,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 20/02/2018 तथा इस संबध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -NATIONAL PUBLIC SCHOOL, AIRPORT ROAD, OPP BIJASAN TEMPLE CHHOTA BANGARDA को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पष्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को षारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल व्दारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीः-

	सुविधाएं	पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	25017	268500
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	11589	11589
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	12280	12280

ङ. अधोसरचना का विवरण

	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल मे दर्ज संख्या	पोर्टल मे दर्ज औसत आकार (वर्ग फीट में)	वास्तविक स्थिति संख्या	वास्तविक स्थिति औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवी तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		20	667	20	400
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		6	345	6	345
3	भोजनालय-सह-भण्डार		2	3000	2	3000

च. अन्य सुविधाएँ

		पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	7450	7450
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	25	25
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	6	6
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नही)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	18	18
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	18	18
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	0
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..261721726.. एवं डाईसकोड (DISE) 23260517607 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला INDORE मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक एफ 37–2/2020/20–3 **भोपाल, दिनांक 31/12/2020**

//परिपत्र//

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रकिया से छूट प्रदान प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सीमा नियत की गई है।

3/ वर्तमान कोविड–19 संकमण के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:–

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रकिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम में विहित प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।

3.3 उपर्युक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संबधितो द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

31.12.20

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 37–2/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र एनआईसी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
11. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, विंध्याचल भवन भोपाल ।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
15. समस्त विकासखण्ड समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31.12.20

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(4)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
म.प्र.वि.वि. जिला उप संभाग क्रं. 2, इन्दौर

क्रमांक 178 /शाखा/भवन/2020/ इन्दौर दिनांक 17-02-2020

प्रति,

डायरेक्टर
नेशनल पब्लिक स्कूल,
एयरपोर्ट रोड इन्दौर।

विषय :- भवन सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र जारी करने बाबद्।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्र. 4488/2019-20/ दि० 11-02-2020

"भवन सुदृढ़ता प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि नेशनल पब्लिक स्कूल, सी.बी.-एस.ई. स्कूल एयरपोर्ट रोड इन्दौर का निरीक्षण किया गया।

स्कूल भवन का निरीक्षण दिनांक 15-02-2020 को किया गया। उक्त भवन पूर्णतः सुरक्षित एवं सुदृढ़ है।

उक्त प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर मय मुद्रा के जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी,
म.प्र.वि.वि. जिला उप संभाग क्र.2, इन्दौर

PRINCIPAL
National Public School
Air Port Road, INDORE

NATIONAL PUBLIC SCHOOL
Airport Road, Indore

FIRE NOC(PREVIEW)

TITLE	M/s
Applicant First Name	NATIONAL
Applicant Middle Name	PUBLIC
Applicant LastName	SCHOOL
Select Your Noc type	Provisional
Mobile No	9826060481
Telephone No	9826060481
Email Address	KALPANA.RKJAIN@GMAIL.COM
Application Date	19.02.2020

Address of Applicant

Line1	NATIONAL PUBLIC SCHOOL
Line2	DIRECTOR:- MS VIJAYLAXMI KHATWANI
Line3	41 - JAIRAMPUR COLONY INDORE
Select City	INDORE
STATE	Madhya Pradesh
Pincode	452001

Address of Property

Line1	NATIONAL PUBLIC SCHOOL
Line2	KHASRA NO.103/1/35 & 107 CHOTA BANGARDA
Line3	OPPOSITE BIJASAN TEMPLE, AIRPORT ROAD INDORE
Select City	INDORE

Occupancy Details

Select Your Occupancy	Educational Building/ शैक्षणिक भवन
Heght of Building(in Mtr)	10.5
Units of Plot area	6 एकड़/Acres

Back Submit

PRINCIPAL
National Public School

NATIONAL PUBLIC SCHOOL
Airport Road, Indore

6

कार्यालय इन्दौर नगर पालिक निगम

कुशाभाऊ ठाकरे (पल्हर नगर पानी की टंकी) झोन क्रमांक – 16

क्रमांक 224   दिनांक 4/7/19

प्रति

प्राचार्या महोदय
नेशनल पब्लिक स्कुल
एयरपोर्ट रोड बिजासन के सामने इन्दौर

विषय :– **स्वच्छता सम्बंधित प्रमाण–पत्र प्रदान करने बाबद।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका आवेदन पत्र आवक क्र. 57 दिनांक 28–05–2019 को प्राप्त होने से मौके का निरीक्षण संबंधित मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षण द्वारा किया गया है। स्कूल में साफ–सफाई, पानी, लाईट, एवं ड्रेनेज प्रकाश आदि कि व्यवस्था ठीक पाई गई।

अतः इनको स्कूल प्रारंभ करने के बारे में इस विभाग को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

(Sd/-)

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,इंदौर
कुशाभाऊ ठाकरे झोन क्र.16